



राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(गुरप-2) विभाग

IFMS ID : 4661

क्रमांक: - F.25(1)M&H/2/2023

जयपुर, दिनांक - 28/05/2024

(स्वीकृति संख्या : 6 / 2024-25)

विषय :- माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2023-24 के बिन्दु संख्या 58.13.00, 292.09.00, 356.16.00 की क्रियान्विति के अन्तर्गत ब्लड बैंक नवलगढ (झुंझुनूं), बैंगू (चित्तौड़गढ), नोहर (हनुमानगढ) एवं जायल (नागौर) के भवन निर्माण कार्य हेतु राशि " राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसायटी " के पी.डी. खाते में हस्तांतरण किये जाने की स्वीकृति।

प्रसंग :- आईडी संख्या 152401007 दिनांक 17.05.2024

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2023-24 के बिन्दु संख्या 58.13.00, 292.09.00, 356.16.00 की क्रियान्विति के अन्तर्गत ब्लड बैंक नवलगढ (झुंझुनूं), बैंगू (चित्तौड़गढ) हेतु राज्य निधि बजट मद 4210-01-110-07-01 के उपमद 17-वृहद् निर्माण कार्य में राशि रु. 70.00 लाख (क्रमशः 30.00 लाख एवं 40.00 लाख) तथा नोहर (हनुमानगढ) एवं जायल (नागौर) हेतु राज्य निधि बजट 4210-02-789-01-90 के उपमद 17-वृहद् निर्माण कार्य में राशि रु. 65.00 लाख (क्रमशः 35.00 लाख एवं 30.00 लाख) कुल राशि रु. 135.00 लाख का हस्तांतरण " राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसायटी " के पी.डी. खाते में किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

राशि (रुपये में)

मांग संख्या	बजट मद जिससे राशि प्रभारित की जावेगी (डेबिट)	राशि	बजट मद/निजी निक्षेप खाता जिसमें राशि जमा की जावेगी (क्रेडिट)	राशि
27	4210-01-110-(07)-[01]-17-State Fund	7,00,00,00	पी डी खाता संख्या : 4008 - Rajasthan State Health Society	7,00,00,00
51	4210-02-789-(01)-[90]-17-State Fund	6,50,00,00	पी डी खाता संख्या : 4008 - Rajasthan State Health Society	6,50,00,00
	कुल योग	13,50,00,00	कुल योग	13,50,00,00

यह स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन होगी:-

- स्वीकृत राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 तथा योजना के दिशा-निर्देश, तत्सम्बन्धी नियम / निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
- निजी निक्षेप खाते से राशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के अनुसार निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए ही किया जावे। बैंक खाते में हस्तान्तरण या अन्य प्रकार से विनियोजित किये जाने हेतु राशि का निजी निक्षेप खाते से आहरण नहीं किया जावेगा।
- व्यय की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित अवधि में नियमानुसार महालेखाकार / स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग को प्रस्तुत किया जावे।
- निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जावे। अनुपयोगी राशि यदि कोई हो तो वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व राजकोष में जमा करवाई जावे।
- व्यय के लेखे महालेखाकार एवं राज्य सरकार के निरीक्षण के लिए सदैव खुले रहेंगे।

यह स्वीकृति वित्त वित्त (व्यय) विभाग-1 विभाग की आई. डी. संख्या 152401007 दिनांक 17/05/2024 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जा रही है।

RajKaj Ref
7568609



राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(गुरुप-2) विभाग

IFMS ID : 4661

भवदीय,

Signature Not
Verified
Digitally signed by
PREETI MATTAUR
Date: 2024.05.28
15:45:25 +05:30

(प्रीति माथुर)
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: - F.25(1)M&H/2/2023

जयपुर, दिनांक - 28/05/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- 2 प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक/लेखापरीक्षा - प्रथम), राजस्थान, जयपुर।
- 3 शासन सचिव, चिकित्सा विभाग, जयपुर।
- 4 संयुक्त शासन सचिव वित्त व्यय-1 विभाग
- 5 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग
- 6 निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर
- 7 कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, सचिवालय, जयपुर।
- 8 रक्षित प्रतिलिपि।

(प्रीति माथुर)
संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref
7568609



राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(गुरप-2) विभाग

IFMS ID : 4661

IFMS ID : 4661

परिशिष्ट

राशि (रुपये में)

राशि

क्र. स.	Ref. No.	निजी निक्षेप खाते का नाम / कोष कार्यालय / बजट शीर्ष	राशि
		4008 - Rajasthan State Health Society	
		2100 - जयपुर(सचिवालय)	
1	40644	4210-01-110-(07)-[01]-17 (राज्य निधि)	7,00,00,00
2	40645	4210-02-789-(01)-[90]-17 (राज्य निधि)	6,50,00,00
		योग जयपुर(सचिवालय)	13,50,00,00

Signature Not
Verified
Digitally signed by
PREETI MAHUR
Date: 2024.05.28
15:45:25 +05:30

RajKaj Ref
7568609

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-योजना / सांख्यिकी / बीएफसी-बजट / 2023-24 / 2024 / 78 दिनांक:- 05/06/2024

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग।
2. अतिरिक्त निदेशक (चिकित्सा प्रशासन) मुख्यालय।
3. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
4. मुख्य अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू / चित्तौड़गढ़ / हनुमानगढ़ / नागौर राज0।
6. संयुक्त निदेशक, (योजना) मुख्यालय।
7. उप निदेशक (योजना-निर्माण) मुख्यालय।
8. उप निदेशक (सांख्यिकी) मुख्यालय।
9. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि इस स्वीकृति को संबंधित अधिकारियों की ई-मेल आईडी एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।
10. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर।

RajKaj Ref
7682329

Document certified by RAVI PRAKASH
MATHUR <rpm272004@yahoo.co.in>

Digitally Signed by RAVI
PRAKASH MATHUR
Designation: Director
Date :03-06-2024 10:34:53